# FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

मोहनलाल बनाम सरकार जरिये लोक अभियोजक

**किस्म मुकद्दमा** – प्रकरण अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू– राजस्व नियम 1970 उनवान सरकार बनाम मोहनलाल मि0नं0 88/1985 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रार्थना पत्र एकतरफा कार्यवाही को सेट असाईड किये जाने

प्रकरण संख्या 25 वर्ष **2020**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| **18-02-2020** | पत्रावली आज पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया । वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र की एडमिशन बहस पर सुना गया ।<br>प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रकरण अन्तर्गत नियम 14(4) राज0 भू– राजस्व कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 बउनवान सरकार बनाम मोहनलाल मि0नं0 88/85 निर्णय दिनांक 8.7.1985 में किये गये एक्सपार्टी आदेश को सेट असाईड करने बाबत प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा उक्त एकतरफा कार्यवाही की प्रथम जानकारी दिनांक 28.1.2020 को विभागीय व्यक्तियों ने आकर प्रार्थी को कब्जा छोडने के लिए कहने पर होना बताया है ।<br>अतः वकील प्रार्थी द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 8.7.1985 को सेट असाइड किये जाने के बताये गये के आधार इस प्रार्थना पत्र को सेट असाईड करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, लगभग लगभग 34 वर्ष बाद सेट असाईड के प्रार्थना पत्र को ग्रहण किया जाना हम उचित नहीं समझते है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी, एडमिशन की बहस पर ही अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है । दायर पंजिका में अंकन किया जावें । बाद तामिल दाखिल दफ्तर हो ।<br>जिला कलेक्टर<br>कोटा | |

Scanned by CamScanner